FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बाप............ मुकाम...............

जेताराम .... बनाम .... चेतनराम

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR Act [illegible] नं. 263/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर जीनगर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बाप	307 15/09/20
20/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगणा स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व लगा लग आये हुए है प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो प्रा[illegible] व काम आये हुए थे जो [illegible] (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बाप	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/वाद/2020/

की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढ़े को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़े का ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

709

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 790

दिनांकः– 20/10/2020

प्राथीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. जेताराम पुत्र चुनाराम जाति कुम्हार निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. धेवरराम पुत्र मिश्रिमल 4 वगैरा निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 263/20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हीरा की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 35 रकबा 9.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिडा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु 20.10.2020

क्रमांक/वाद/2020/ 791–95

दिनांकः– 20/10/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हीरा की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेताराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण धेवरराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा/बायतु/नागाणा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested